

514

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

4 FEB 2012

रायपुर, दिनांक /2/2012

क्रमांक/18-05/2011/25/2:राज्य शासन एतद् द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1988-89 विनियम के नियम 05 के बिन्दु 04 के उप बिन्दु 03 के (क) एवं (ख) में आय सीमा हेतु उल्लेखित प्रावधान को अधिकमित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार आय सीमा हेतु प्रावधान संस्थापित करता है:-

वर्तमान आय सीमा जिसे अधिकमित किया जाता है।	आय सीमा जिसे संस्थापित किया जाता है।
1.	2.
रु० 9,000/- वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस.	रु० 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस.
रु० 9,001/- से रु० 25,000/- वार्षिक आय तक आधी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस.	

- छात्र-छात्राओं का सटिक डाटाबेस तैयार कराते हुए पात्र छात्रों को ही छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- छात्रवृत्ति हेतु सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरण कराने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करावे।
- यह आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रभावशील होगा।
- इस स्वीकृति/संशोधन पर छोगो शासन, वित्त विभाग के यूओओ क्रमांक/38/00002372/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 27.1.2012 द्वारा सहमति प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

M. P. J.
(डी०डी०कुजाम)
संयुक्ता सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग

// 2 //

ARO

12/3/12

रजि. नं.
A.D.
13/03/12

आवक जांचक क्रं./BCC/O
दिनांक 17/3/12/03/2012

द्वारा निराकरण
D C J T. L. T. 2012

सभी AC's को
सूचना दे दी


[Signature]
9/2/12

[Signature]
23/2/2012

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/आदि०यो०/छात्रवृत्ति/2011-12/12357 रायपुर, दिनांक 25/2/12
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, छ०ग० शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनबाड़ा, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, जिला-..... (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-..... (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-..... (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, जिला-..... (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर